

भाग-V

(इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।)

1. राज्य सरकार की सिफारिश :
उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग
या भाग-घ में किसी अधिकारी :
या प्राधिकारी द्वारा कि गयी
प्रतिकूल टिप्पणीयों पर विशिष्ट
(टिप्पणी की जाए)

Recommended for approval

Re

तिथि:

11/5/18

स्थान:

Unknow

हस्ताक्षर:

डा० प्रशान्त कुमार वर्मा
मुख्य वन अधिकारी / माहल अधिकारी
वन (संरक्षण) अधिनियम-1980,
उ०प्र०, लखनऊ

नाम:

पदनाम: